

जून 2021

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
 - वर्ष 2020-21 की चौथी तमिाही में चालू खाता घाटा
 - रेपो रेट और रविर्स रेपो रेट
- **वित्त**
 - रेगुलेटरी प्रावधानों में संशोधन
- **वदिशी मामले**
 - ड्राफ्ट उत्प्रवास बलि, 2021
- **कृषि**
 - वर्ष 2021-22 में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन
- **रक्षा**
 - आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021
 - युद्ध इतहास अभलिखागार का पुनर्वगीकरण
- **बजिली**
 - बजिली (उपभोक्ताओं के अधिकार) (संशोधन) नयिम, 2021
- **शक्तिषा**
 - शक्तिषक पात्रता परीक्षा योग्यता सरटफिकेट की वैधता सीमा
 - वकिलांग बचचों के लयि ई-कंटेंट वकिसति करने हेतु दशानरिदेश
- **पर्यटन**
 - सतत, ग्रामीण, मेडकिल और बजिनेस पर्यटन हेतु ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

वर्ष 2020-21 की चौथी तमिाही में चालू खाता घाटा

- वर्ष 2020-21 की चौथी तमिाही (जनवरी-मार्च) में भारत के चालू खाता संतुलन (Current Account Balance-CAB) में 8.1 बलियिन अमेरकी डॉलर (जीडीपी का 1%) की कमी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 0.6 बलियिन अमेरकी डॉलर का अधशेष (जीडीपी का 0.1%) दर्ज कयिा गया था।
- वर्ष 2020-21 की चौथी तमिाही में CAB में घाटा मुख्य रूप से नमिनलखिति कारणों से हुआ था:
 - (i) उच्च वयापार घाटा (देश के नरियात और आयात का अंतर)
 - (ii) वर्ष 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में नमिन शुद्ध अदृश्य प्राप्तयिों। 46 अदृश्य प्राप्तयिों में टरेड इन सेवाओं (जैसे सॉफ्टवेयर और यात्रा सेवाएँ) और नजिी हस्तांतरणों, जैसे- वदिशों में नयिकृत भारतीयों के प्रेषणों से मलिने वाली प्राप्तयिों शामिल हैं।
- वर्ष 2020-21 की चौथी तमिाही में वदिशी मुद्रा भंडार 3.4 बलियिन अमेरकी डॉलर बढ़ गया। जबकि वर्ष 019-20 की चौथी तमिाही में 18.8 बलियिन अमेरकी डॉलर की वृद्धा हुई थी।

रेपो रेट और रविर्स रेपो रेट

मौद्रकि नीतिसमिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने वर्ष 2021-22 का दूसरा द्वमिसकि मौद्रकि नीतगित वक्तव्य जारी कयिा। इसके मुख्य नरिणयों में नमिनलखिति बदि शामिल हैं:

- पॉलिसी रेपो रेट (जसि दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% की दर पर बरकरार है।

- रिवर्स रेपो रेट (जसि दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरविरतनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फंडसिलिटी रेट (जसि दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जसि दर पर आरबीआई बलिस ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरविरतनीय है।

वर्तित

रेगुलेटरी प्रावधानों में संशोधन

भारतीय प्रतभित और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने सेबी (लसिटगि ऑब्लगिशंस और डसिक्लोजर की शरते) रेगुलेशंस, 2015 में संशोधनों को मंजूरी दी। मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **स्वतंत्र नदिशकों के तौर पर नयुक्ताकी पात्रता:** नयुक्ताहेतु वर्ष 2015 के रेगुलेशंस प्रमोटर ग्रुप कंपनी के कर्मचारियों हेतु दो वर्ष की कूलगि अवधि नरिदषिट करते थे जसि वर्ष 2021 के रेगुलेशंस में इसे तीन वर्ष कर दिया गया है।
- **स्वतंत्र नदिशक की नयुक्ता/पुनरनयुक्ता और हटाने की प्रकरया:** वर्ष 2015 के रेगुलेशंस में स्वतंत्र नदिशकों की नयुक्ता, पुनरनयुक्ता और हटाने की प्रकरया नहीं दी गई थी। वर्ष 2021 के संशोधनों में नरिदषिट कया गया है कसिभी लसिटेड एंटीटीज के शेरधारकों के वशिष प्रस्ताव के जरयि स्वतंत्र नदिशकों की नयुक्ता, पुनरनयुक्ता और हटाने का कारय कया जाएगा।
- **संबंधति पकष के लेन-देन को मंजूरी:** वर्ष 2015 के रेगुलेशंस में यह प्रावधान है कसि संबंधति पकष के लेन-देन को पहले ऑडिट कमेंटी की अनवारय मंजूरी लेनी होगी। वर्ष 2021 के रेगुलेशंस में कहा गया है कसि ऑडिट कमेंटी को सरिफ स्वतंत्र नदिशकों की पूरव मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

वदिशी मामले

ड्राफ्ट उत्प्रवास बलि, 2021

वदिशी मामलों के मंत्रालय ने ड्राफ्ट उत्प्रवास (एमगिरेशन) बलि, 2021 जारी कया है। यह भारतीय नागरिकों के वदिशी रोजगार को नयितरति करने और भारतीय प्रवासयों की सुरक्षा एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु रेगुलेटरी व्यवस्था का प्रावधान करता है। ड्राफ्ट बलि प्रवासयों को ऐसे भारतीय नागरिकों के रूप में स्पष्ट करता है जो रोजगार हेतु भारत से बाहर जाना चाहते हैं, या जा चुके हैं। ड्राफ्ट बलि की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अथॉरटीज:** ड्राफ्ट बलि दो अथॉरटीज बनाने का प्रयास करता है: पहली ब्यूरो ऑफ इमगिरेशन पॉलिसी एंड प्लानगि (BEPP) और दूसरी ब्यूरो ऑफ इमगिरेशन एडमनिसिट्रेशन (BEA)।
 - पहली में एक चीफ ऑफ इमगिरेशन पॉलिसी और अन्य अधिकारी होंगे। उसके कार्यों में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - प्रवासयों के कल्याण से संबंधति मामलों में नीतयों बनाना।
 - गंतव्य देशों के साथ शर्म एवं सामाजकि सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करना।
 - दूसरी अथॉरटीज में मुख्य एमगिरेशन अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे जिनके कार्यों में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - भारतीय प्रवासयों के डेटाबेस बनाना।
 - प्रवासयों के कल्याण के उपायों और कार्यक्रमों को लागू करना।
 - ड्राफ्ट बलि राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में नोडल कमेटीज बनाने का भी प्रावधान करता है। उसके कार्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - लोगों की तसकरी में शामिल इकाइयों को सजा दलाने हेतु पहल करना।
 - संभावति प्रवासयों हेतु यात्रा से पहले ओरिएटेशन कार्यक्रम और दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाना।

कृषि

वर्ष 2021-22 में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन

केंद्रीय मंत्रमिडल ने वर्ष 2021-22 के लयि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूलय (MSP) को मंजूरी दी। धान (सामान्य) के लयि MSP 1,940 रुपए प्रतकिवटिल तय कया गया है, जो पछिले वर्ष के MSP (1,868 रुपए प्रतकिवटिल) की तुलना में 3.9% अधिक है।

तालकि 1: वर्ष 2021-22 के लयि खरीफ फसलों का MSP (रुपए प्रतकिवटिल में)

फसल	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	परविरतन (%)
धान (सामान्य)	1,868	1,940	3.9%
धान (ग्रेड ए)	1,888	1,960	3.8%
ज्वार (हाइब्रडि)	2,620	2,738	4.5%
ज्वार (मलडंडी)	2,640	2,758	4.5%
बाजरा	2,150	2,250	4.7%
रागी	3,295	3,377	2.5%

मक्का	1,850	1,870	1.1%
अरहर (तुअर)	6,000	6,300	5.0%
मूँग	7,196	7,275	1.1%
उड़द	6,000	6,300	5.0%
मूँगफली	5,275	5,550	5.2%
सोयाबीन (पीली)	3,880	3,950	1.8%
तलि	6,855	7,307	6.6%
रामतलि	6,695	6,930	3.5%
कपास (मध्यम रेशा)	5,515	5,726	3.8%
कपास (लंबा रेशा)	5,825	6,025	3.4%

रक्षा

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 को जारी किया गया है। अध्यादेश केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी को प्रतर्बिंधित करने की अनुमति देता है। अध्यादेश की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **आवश्यक रक्षा सेवाएँ:** आवश्यक रक्षा सेवाओं में नमिनलखिति में संचालित होने वाली कोई भी सेवा शामिल है:
 - रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिये ज़रूरी वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन का काम करने वाला कोई इस्टैबलशिमेंट या उपक्रम, या
 - सशस्त्र बलों या रक्षा से जुड़ा इस्टैबलशिमेंट। इनमें ऐसी सेवाएँ भी शामिल हैं, जो अगर रुक जाए तो ऐसी सेवाओं से संलग्न इस्टैबलशिमेंट या उनके कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
- **हड़तालें:** अध्यादेश के अंतर्गत हड़ताल का अर्थ है, एक साथ काम करने वाले लोगों के नकियाय द्वारा काम रोकना। इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - सामूहिक रूप से कैजुअल लीव लेना।
 - कतिनी भी संख्या में लोगों को काम पर रखने या रोजगार में संयोजित करने से इनकार करना।
 - ओवरटाइम से इनकार करना, अगर वह कार्य आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिये ज़रूरी है।
 - ऐसा कोई भी अन्य आचरण जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं में रुकावट आती है, या आने की आशंका है।
- **हड़तालों, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतर्बिंध:** अध्यादेश के अंतर्गत केंद्र सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़तालों, तालाबंदी और छंटनियों पर प्रतर्बिंध लगा सकती है। सरकार नमिनलखिति के हति के लिये ज़रूरी होने पर ऐसे आदेश दे सकती है:
 - भारत की संप्रभुता और एकता।
 - किसी राज्य की सुरक्षा।
 - सार्वजनिक व्यवस्था।
 - जनता।
 - शालीनता।
 - नैतिकता। प्रतर्बिंध के आदेश छह महीने तक लागू रह सकते हैं और छह महीने के लिये बढ़ाए जा सकते हैं।

युद्ध इतहास अभिलेखागार का पुनर्वगीकरण

- रक्षा मंत्रालय ने युद्ध/अभियान इतहास के अभिलेखन, पुनर्वगीकरण और संकलन पर नीति को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य नमिनलखिति के लिये युद्ध इतहास को उचित समय पर प्रकाशित करना है:
 - घटनाओं का सटीक लेखा-जोखा देना और नरिधार अफवाहों से नपिटना।
 - आकदमिक शोध और वशि्लेषण के लिये वशि्वसनीय सामग्री प्रदान करना।
- नीति के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी संगठन युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र और ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक्स सहित अपने सभी रिकॉर्ड्स को उसके इतहास वशिभाग को हस्तांतरित कर देंगे ताकि इतहास का उचित रखरखाव, अभिलेखन और लेखन किया जा सके। युद्ध/अभियान के पूरा होने के दो वर्ष के भीतर उसके इतहास को संकलित करने के लिए कमेंटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी।
- इसमें सेवाओं, गृह और वदिशी मामलों के मंत्रालय तथा अन्य संबंधित संगठनों के प्रतनिधि एवं अगर ज़रूरी हुआ, तो प्रमुख सैन्य इतहास शामिल होंगे।
- रिकॉर्ड्स का संकलन तीन वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिये।
- पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के अनुसार, रिकॉर्ड्स के पुनर्वगीकरण की ज़िम्मेदारी संबंधित संगठनों की होगी।
- नीति के अनुसार, रिकॉर्ड्स को सामान्यतया 25 वर्षों में पुनर्वगीकृत किया जाना चाहिये।

बजिली

बजिली (उपभोक्ताओं के अधिकार) (संशोधन) नयिम, 2021

बजिली मंत्रालय ने बजिली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नयिम, 2021 को अधिसूचित किया है। ये नयिम बजिली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नयिम, 2020 में सोलर रूफ टॉप ससिस्टम्स के प्रोज़्युमर्स से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हैं। मुख्य संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **प्रोज़्युमर्स की मीटरिंग:** वर्ष 2020 के नयिम नरिदषिट करते हैं कगिरेडि इंटरैक्टिवि रूफटॉप सोलर फोटोवॉलटेइक ससिस्टम और संबंधित मामलों पर रेगुलेशंस में नमिनलखिति प्रावधान होने चाहिये:
 - (i) 10 kW तक के लोड्स की नेट मीटरिंग।
 - (ii) 10 kW से अधिक के लोड्स की ग्राँस मीटरिंग।
- वर्ष 2021 के नयिम नरिदषिट करते हैं क राज्ज बजिली रेगुलेटरी आयोगों को नेट मीटरिंग/ग्राँस मीटरिंग/नेट बलिंग/नेट फीड-इन पर रेगुलेशंस जारी करना चाहिये। अगर रेगुलेशंस नेट मीटरिंग/ग्राँस मीटरिंग/नेट बलिंग/नेट फीड-इन का प्रावधान नहीं करेंगे तो राज्ज सरकार नमिनलखिति की अनुमति दे सकती है:
 - (i) 500 kilowatt (kW) या स्वीकृत लोड तक, जो भी कम हो, पर प्रोज़्युमर्स को नेट मीटरिंग।
 - (ii) अन्य लोड्स के लिये नेट बलिंग या नेट-फीड।
- इसके अतरिकित राज्ज आयोग नेट बलिंग का लाभ उठाने की बजाय पूरी सोलर एनर्जी वतिरण लाइसेंसी को बेचने के इच्छुक प्रोज़्युमर्स को ग्राँस मीटरिंग की अनुमति दे सकते हैं।
- **बजिली की खपत या बलि की गई राशिका समायोजन:** वर्ष 2021 के नयिम नरिदषिट करते हैं क प्रोज़्युमर द्वारा उत्पादित बजिली को बजिली की खपत या बलि की गई राशिके साथ समायोजित किया जाएगा। इसे ग्रेडि इंटरैक्टिवि रूफटॉप सोलर ससिस्टम के लिये राज्ज बजिली रेगुलेटरी आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

शक़िषा

शक़िषक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टफिकेट की वैधता सीमा

- शक़िषा मंत्रालय ने शक़िषक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टफिकेट की वैधता सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है।
- यह नयिम 2011 से लागू होगा।
- शक़िषक पात्रता परीक्षा किसी व्यक्तिके लिये वह अनविरय योग्यता है जिसके आधार पर वह स्कूल में शक़िषक की नयुक्ति हेतु पात्र होता है।

वकिलांग बच्चों हेतु ई-कंटेंट वकिसति करने हेतु दशिया-नरिदेश

शक़िषा मंत्रालय ने वकिलांग बच्चों (सीडब्ल्यूडीज़) के लिये ई-कंटेंट के वकिस हेतु दशिया-नरिदेशों को जारी किया। दशिया-नरिदेशों का उद्देश्य वकिलांग बच्चों की डिजिटल शक़िषा के लिये उच्च क्वालिटि के कंटेंट का वकिस करना है। दशिया-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बौद्धिक वकिकार वाले वदियार्थी:** इन वदियार्थियों की लरनगि वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) औसत क्षमता से कम समझ।
 - (ii) बार-बार नरिदेश देने की रूरत।
 - इन वदियार्थियों के ई-कंटेंट में बार-बार मेमोरी चेक्स और सीखी गई दक़्षता की प्रैक्टिस और लागू करने के मौके शामिल होने चाहिये। उन्हें मौखिक साधनों की बजाय दूसरे तरीकों से खुद को अभवियक्त करने के मौके दिये जाने चाहिये (जैसे वदियार्थियों को वीडियो दखिाकर उत्तर की तरफ इशारा करने को कहना)।
 - मूल्यांकन प्रक्रिया में वदियार्थी की प्रोफाइल और ज़रूरत के हिसाब से संशोधन किया जाना चाहिये।
- **कई प्रकार की वकिलांगताओं वाले वदियार्थी:** इसमें दो या उससे अधिक वकिलांगता वाले वदियार्थी शामिल हैं। उन्हें रोजमर्रा के काम के लिये अससिटिवि डविाइस (जैसे वहीलचेयर, वज़िन और हेयरगि एड्स) की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे वदियार्थियों के लिये ई-कंटेंट में सरल पाठ होने चाहिये। इनमें चरण-दर-चरण नरिदेश होने चाहिये और जैसे-जैसे वदियार्थी सीखने लगे, उसी हिसाब से धीरे-धीरे सपोर्ट हटाया जा सकता है।
- **बधरि वदियार्थियों के लिये साइन लैंग्वेज वीडियो का नरिमाण:** संपादन और वजुअल एड्स को शामिल करने के लिये साइनर के पीछे हरे स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। रकिॉर्डगि कैमरा आई लेवल पर रखा जाना चाहिये। साइनर को फ्रेम के बीच में होना चाहिये।
 - इसके अतरिकित दशिया-नरिदेशों में ऑटज़िम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (जैसे कम्यूनिक्शन और सोशियलाइज़ेशन में कठिनाई), मेंटल इलनेस, लरनगि डिसबिलिटिज़ (जैसे पढ़ने और लिखने में कठिनाई) और बलड डिसऑर्डर वाले वदियार्थियों के लिये ई-कंटेंट का वविरण दिया गया है।

पर्यटन

सतत, ग्रामीण, मेडिकल और बज़िनेस पर्यटन हेतु ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

पर्यटन मंत्रालय ने वभिन्न प्रकार के पर्यटनों के लिये ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी किया है। पर्यटन के ये प्रकार हैं

- (i) सतत पर्यटन।
- (ii) ग्रामीण पर्यटन।

- (iii) मेडिकल और वेलनेस पर्यटन ।
- (iv) बज़िनेस पर्यटन ।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीतियों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **सतत् पर्यटन:** सतत् पर्यटन का उद्देश्य पर्यटन के सकारात्मक असर, जैसे रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और नकारात्मक असर, जैसे वन्यजीवन में रुकावट को कम करना । राष्ट्रीय रणनीति में कहा गया है कि पर्यटन के सभी प्रकारों को सथायतिव पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि ।
 - रणनीति विशेष रूप से इको-टूरज़िम और एडवेंचर टूरज़िम पर केंद्रति है । रणनीति में मार्केटगि और प्रमोशन, सार्वजनकि-नजि भागीदारी और सतत् पर्यटन के लयि उत्पाद वकिस जैसे क्षेत्रों पर एडवाइज़री भी शामिल है ।
- **ग्रामीण पर्यटन:** इसका अर्थ ऐसा पर्यटन है जसिमें ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और वरिसत के दर्शन होते हैं । इस रणनीति की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) उत्तम कार्यपद्धतयिों को नरिधारति करना ।
 - (ii) डजिटिल तकनीक को अपनाना ।
 - (iii) ग्रामीण पर्यटन के लयि क्लस्टरस का वकिस ।
 - (iv) ग्रामीण पर्यटन को मदद देने के लयि मार्केटगि का प्रावधान ।
- **मेडिकल पर्यटन:** इस प्रकार का पर्यटन मेडिकल कार्यक्रमों के ज़रयि स्वास्थय देखभाल, उसमें सुधार और उसे बहाल करने पर केंद्रति है । राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य संस्थागत फ़रेमवर्क प्रदान करना, मेडिकल व वेलनेस पर्यटन के इकोससिस्टम को मज़बूत करना, ब्रांड वकिसति करना, डजिटिलीकरण और गुणवत्ता सुनशिचति करना है ।
- **एमआईसीई उद्योग: मीटगि, इनसैंटविस, कॉन्फ़रेंस और एकजीबशिंग (MICE) बज़िनेस पर्यटन का एक सेगमेंट है और इसमें ऐसे ईवेंट्स शामिल होते हैं जनिमें वशिषिट उद्देश्य से लोगों का बड़ा समूह जमा होता है ।**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-june-2021>

